	हुकम कार्यवाही मय़ इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 358/2025 अनवान अभिषेक बनाम कल्याणसिंह वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
..5/08/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील तथा अप्रार्थी संख्या 06 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 945 रकबा 1.5702 हैक्टयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 06 का जवाब बन्द किया गया।	

वकील अप्रार्थी संख्या 06 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी 06 के खेत की सीमाओं को छोड़कर एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थी मौजा बाडमेर आगोर पटवार हल्का बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 945 रकबा 1.5702 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– रु. (एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:55:30 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर